

**प्रारूप-छ (संलग्नक-6)**

**अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)**

यूआईडी संख्या : UPFS/2025/146530/RMP/RAMPUR/1620/CFO

दिनांक : 18-02-2025

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **LORD BUDDHA CITY INTERNATIONAL SCHOOL** पता **PLOT NO.552, 556, 557, 598, 599, 600, 601,VILLAGE KHATA KALA,RAMPUR** तहसील - **MILAK** प्लॉट एरिया **8060 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **2829.60** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	वेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
A	3	0	10.50 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **LORD BUDDHA CITY INTERNATIONAL SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **21-02-2025** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **Owner Name : KAPIL DEV E-Mail ID : kapildarya@rediffmail.com Mobile No. : 9897919255** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **22-02-2025** से **22-02-2028** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **LORD BUDDHA CITY INTERNATIONAL SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **LORD BUDDHA CITY INTERNATIONAL SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

**Note :** On the basis of FSSO inspection report, this instant NOC is being issued.

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"



**मुख्य अग्निशमन अधिकारी**

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

**ANKUSH MITTAL**

C1A4F12653EE8617AC34BF4879D7820B631DA4C4

22-02-2025

निर्गत किये जाने का दिनांक : 22-02-2025  
स्थान : RAMPUR



check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of Fire Service